फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू

गोपाललाल व अन्य | अप्रार्थीः रामेश्वर व अन्य

ंख्या : 40 /2016 | **प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा**

ा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.07.2016	**निर्णय** आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व कैम्प कोर्ट के दौरान पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 बावजूद कैम्प कोर्ट नोटिस तामील अनु0। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 10 प्रोफार्मा पक्षकार है जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया। चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है, पक्षकारान को विधिवत् नोटिस तामील हो चुके है। अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम को, आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नंबर 7748, 7757, 7759, 7760, 7761, 7762, 7767, 7768, 7769, 7770 कुल किता 10 कुल रकबा 10.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 6954 ल0 6960, 7420 कुल किता 08 कुल रकबा 3.6900 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 7924 रकबा 0.7200 हैक्टेयर ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक–दूसरे की कब्जा–काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो। (सावन कुमार चायल) सहायक कलेक्टर (फा.ट्रेक) दूदू सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	

Scanned by CamScanner